न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– सोनपाल बनाम गीता आदि

मु.नं0 91 वर्ष 2022

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट

दिनांक	आज्ञा पत्र
26.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 ता 5 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। बहस टी0आई0 सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 3257/3441 रकबा 0.5800 है0 अवस्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी 1/2 हिस्सा प्रार्थी एंव 1/2 हिस्सा प्रार्थी की मृत माता बिरदी के नाम से है। प्रार्थी की माता बिरदी का स्वर्गवास हो चुका है तथा बिरदी के प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 1 वैध वारिस है। प्रार्थी मृतक भूदा का दत्तक पुत्र है, प्रार्थी का जन्मदाता पिता फूला व प्रार्थी का दत्तक पिता दोनों सगे भाई थे तथा प्रार्थी का दत्तक पिता प्रायः बीमार रहता था व दमा की बीमारी से पीड़ित था तथा प्रार्थी का जन्मदाता पिता फूला ईट भट्टों पर मजदूरी करता था तथा अपने बडे भाई को भी अपने साथ ही रखता था। भूदा के अप्रार्थी सं0 1 का जन्म हुआ, जिसके 7–8 वर्ष बाद तक अन्य कोई संतान नहीं हुई व भूदा बीमार रहने लगा तो प्रार्थी जब मात्र 1 वर्ष का था तब ही भूदा व बिरदी ने प्रार्थी को इसके जांयदा माता–पिता से गोद ले लिया व बलाई समाज में प्रचलित रीति रिवाजों से सभी धार्मिक कार्यक्रम करते हुए प्रार्थी के जांयदा माता–पिता ने प्रार्थी को भूदा व बिरदी को गोद दे दिया था, तब से ही प्रार्थी अपने दत्तक माता–पिता के साथ रहने लगा जिसका पालन पोषण दत्तक माता पिता ने किया। प्रार्थी के दत्तक पिता का स्वर्गवास होने पर पगडी का दस्तुर प्रार्थी ने किया व समस्त क्रिया कर्म भी प्रार्थी ने सम्पन्न कराए तथा माता बिरदी का स्वर्गवास होने पर भी समस्त क्रिया कर्म प्रार्थी ने सम्पन्न कराये। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के बाद कृषि भूमि पुराने ख0नं0 1306 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वाके शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, सीकर जो प्रार्थी के पिता की खातेदारी की थी, का विरासत का ना0क0 सं0 1406 वर्ष 1992 में प्रार्थी एंव बहिस्सा बराबर स्वीकृत किया गया। ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, सीकर स्थित भूमि ख0नं0 3257/3441 रकबा 0.58 है0 में बिरदी पत्नि भूदा के हिस्से 1/2 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एंव आवश्यक है। कृषि भूमि ख0न0 1306 जिसके दौराने सेटलमेंट नये ख0नं0 3257/3441 रकबा 0.5800 है0 कायम किये गये की खातेदारी बिरदी पत्नि भूदा का स्वर्गवास होने पर बिरदी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 बहिस्सा बराबर खातेदार है। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 से साजिश कर बाला–बाला बिरदी के 1/2 हिस्से का ना0क0 स्वंय अपने अकेली के नाम करवाने की व भूमि को विक्रय करने की कुचेष्टा में प्रयासरत है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि भूदा का दत्तक पुत्र बताया है। सोनपाल दत्तक पुत्र नहीं है। सोनपाल फूला का पुत्र है। फूला की विरासत इनको सोनपाल को मिली है। भूदा व फूला भाई था। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वादी कहीं भी प्रमाणित नहीं कर पाया कि मैं सोनपाल का पुत्र हूं। टी0आई0 प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। मेरा काउन्टर टी0आई0 स्वीकार किया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.22 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 3257/3441 रकबा 0.58 है0 के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है, जो वर्तमान में तनकी में विचाराधीन चल रहा है। तनकी निर्धारण के बाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 108/2022 उनवानी सोनपाल बनाम गीता आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 3257/3441 रकबा 0.58 है0 के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर